XFA

पत्रांक 15/पी5 –01/2016 122

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 5/3/ 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्य के एक विश्वविद्यालय एवं 27 अंगीभूत महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास की स्वीकृत योजना के लिए केन्द्रांश हेतु रू0 17,42,60,000/– (सतरह करोड़ ब्यालीस लाख साठ हजार) एवं राज्यांश हेतु रू0 12,33,18,000/– (बारह करोड़ तैतीस लाख अठारह हजार) मात्र अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर कुल रू0 29,75,78,000/– (उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख अठहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्य के एक विश्वविद्यालय एवं 27 अंगीभूत महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास की स्वीकृत योजना के लिए केन्द्रांश हेतु रू0 17,42,60,000/– (सतरह करोड़ ब्यालीस लाख साठ हजार) एवं राज्यांश हेतु रू0 12,33,18,000/– (बारह करोड़ तैतीस लाख अठारह हजार) मात्र अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर कुल रू0 29,75,78,000/– (उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख अठहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति। प्रदान की गई है।

2. राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है। केन्द्र सरकार द्वारा 12वीं योजना में सम्प्रति राज्य के एक विश्वविद्यालय एवं कुल 27 महाविद्यालयों (भारत सरकार के तत्संबंधी पत्र अनुलग्नक– 1 के रूप में संलग्न है) के लिए प्रति विश्वविद्यालय रू0 20,00,00,000/– (बीस करोड़) मात्र एवं प्रति महाविद्यालय रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़) मात्र की दर से 54,00,00,000/– (चौवन करोड़) मात्र अर्थात कुल रू0 74,00,00,000/– (चौहत्तर करोड़) मात्र की योजना की अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान प्रदान की गई है। इसका 50% राशि अर्थात कुल रू0 37,00,00,000/– (सैतीस करोड़) इस वित्तीय वर्ष में व्यय की जानी है।

इस वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने वाले रू0 37,00,00,000/– (सैतीस करोड़) में से केन्द्रांश के रूप में 60% राशि कुल रू0 22,20,00,000/– (बाईस करोड़ बीस लाख) मात्र भारत सरकार से क्रमशः एडभाईस संख्या 280P, 285P एवं एडभाईस संख्या 289P दिनांक 23.12.2015 द्वारा विमुक्त की गई है। राज्य सरकार को राज्यांश के रूप में कुल रू0 14,80,00,000/– (चौदह करोड़ अस्सी लाख) मात्र विमुक्त किए जाने की बाध्यता है।

3. स्वीकृत राशि से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। निर्माण कार्य की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। विगत वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए कुल रू0 11,40,00,000/–

(ग्यारह करोड़ चालीस लाख) मात्र स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध पूर्व में केन्द्र सरकार से प्राप्त कुल 2.62 करोड़ रू० का उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। अंकनीय है कि उक्त रूपये 11,40,00,000/– (ग्यारह करोड़ चालीस लाख) मात्र में से केन्द्राशं एवं राज्यांश के रूप में विगत वित्तीय वर्ष में निकासी की गयी अधिशेष राशि रू0 7,24,22,000/– (सात करोड़ चौबीस लाख बाइस हजार) मात्र राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के खाते में जमा है। जिसका सामंजन इस वित्तीय वर्ष के राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु देय राशि में से करते हुए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में से केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर कुल रूपये 29,75,78,000/– (उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख अठहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किया जा रहा है।

4. स्वीकृत की गई राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड़, पटना से की जाएगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् द्वारा राशि संबंधित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान के खाते में राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान के मार्गदर्शिका के अनुसार अंतरण की जाएगी। राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों को राशि संस्थान के अनुमोदित संस्थागत विकास योजना (Institutional Development Plan) के अनुसार ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

5. स्वीकृत की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभिन्न संस्थानों से प्राप्त कर समेकित रूप से बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि से होने वाले योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी गुणवता के लिए संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/उपसचिव/कुलपति एवं राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के परियोजना निदेशक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार के कदाचार की स्थिति में विभाग नियमानुकूल कार्रवाई कर सकेगी।

6. स्वीकृत की जा रही राशि में से कुल रू0 17,42,60,000/– (सतरह करोड़ ब्यालीस लाख साठ हजार) एवं के व्यय का विकलन "मुख्य शीर्ष – 4202 – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01 – सामान्य शिक्षा, लघुशीर्ष 203– विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, उपशीर्ष 0207 राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान विपत्र कोड़ P4202012030207 विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत एवं कुल रू0 12,33,18,000/– (बारह करोड़ तैतीस लाख अठारह हजार) मात्र का विकलन "मुख्य शीर्ष – 2202 – सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102 विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0323 राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान विपत्र कोड़ P2202031020323 विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जाएगा।

7. यह स्वीकृत्यादेश दिनांक 03.02.2016 को पृष्ट 38–37/प0 पर हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तथा संचिका संख्या 15/पी 5–01/2016 के पृष्ठ 10/टि0 पर दिनांक 16.2.2016 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5–01/2016 में दिनांक 22/2/16 को पृ 12/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

9. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10 महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आ के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्रा नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–01/2016 122 पटना, दिनाक 4/3 /2016

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/निदेशक, उच्च शिक्षा/श्री शिवेश रंजन, नोडल पदाधिकारी (आई0आई0एम0, बोधगया)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–01/2016 122 पटना, दिनाक 4/3 /2016

प्रतिलिपि –प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव